कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी

संख्या: / सुपरस्पेशलिटी प्रवेश /2025–2026/एस0सी0–1 दिनाँक: 18/3/26

आवश्यक निर्देश

नीट सुपरस्पेशलिटी काउंसिलिंग 2025 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को भारत सरकार के राजपत्र संख्या 04 असाधारण, भाग –3, खण्ड–4 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग दिनाँक 29 दिसम्बर 2023 (पी0जी0एम0ई0आर0–2023) के अधीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिग्री के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर अनन्तिम रुप से नियुक्त किया जायेगा ।

इन्हें काउन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रवेश एवं कार्यभार ग्रहण करना होगा। समय पर प्रवेश न लेने एवं कार्य भार ग्रहण न करने पर इनका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने पर इन्हे पीजी रेजीडेन्सी योजना 25 नवम्बर 1989 से संबंधित एवं शासनादेश सं0 85/2019/2625/71–1–2019–जी–71/2011 टी0सी0 लखनऊ दिनाँक 16 अक्टूबर, 2019 एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते आदि अनुमन्य होगें।

"शासन के आदेशनुसार प्रवेश के उपरान्त छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त राजकीय क्षेत्र में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा करने समबन्धी बाण्ड पृथक से रु0 100/– के स्टाम्प पेपर पर डिग्री छात्रों को रु0 1,00,00,000 एक करोड़ का जमा करना होगा। "

सुपरस्पेशलिटी पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने की तिथि **10–04–2026** निर्धारित की गयी है डिग्री छात्रों को थीसिस प्रोफार्मा/थीसिस अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। एन0एम0सी0 के PGMER 2023 के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पाठ्यकम की अवधि में 80 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है, छात्रो को एन0एम0सी0 एवं अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत नियमावली अध्यादेश, नियम व उपनियम मान्य होंगे। रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत जारी आदेश /एन0एम0सी0 के नियमानुसार अवकाश देय होगे। अभ्यर्थियों को परीक्षाफल घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रावास रिक्त करना होगा अन्यथा दण्डात्मक शुल्क लिया जायेगा ।

नियुक्ति एवं पाठ्यकम संबंधी किसी प्रकार का वाद उच्च न्यायालय लखनऊ के अधीन होगा। प्रवेश लेने के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक स्वः प्रमाणित/प्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

1–Allotment Letter
2–Admit Card of NEET SS 2025
3– Score card / Rank Letter of NEET SS-2025
4– High School Marksheet/Certificate (as proof of date of birth)
5– 12th Marksheet
6– Mark sheets of all Professional Examination of MBBS
7–MBBS passing out certificate or degree
8–Compulsory Rotatory Internship completion certificate
9–Permanent Registration Certificate **(State Medical council/MCI/DCI)**
10– Mark sheets of PG Examination
11- Degree of PG Examination
12- PG Passing , character Certificate.
13–Reservation certificate(SC/ST/OBC/EWS/PwD certificate), if applicable.
14– कार्यमुक्त प्रमाण पत्र (अनापत्ति प्रमाण पत्र) यदि कार्यरत हों (पी0एच0एम0एस0 इत्यादि)।
15– 08 (आठ) फोटो (4 फार्म हेतु एवं 04 अलग से)
16–बाण्ड रू 01 करोड निर्धारित प्रारूप पर (रूपये 100 के स्टाम्प पर)।
17–एन्टी रैगिंग सम्बन्धी छात्र एवं पिता का अलग–अलग **10 रुपये के स्टाम्प** पेपर पर नोटरी द्वाराप्रदत्त शपथपत्र। (Annexure-P-10 एवं 11 पर) एवं शपथ पथ प्रारूप (Annexure-**P-12**) **10 रुपये के स्टाम्प** पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र। (एन0एम0सी0 नियमावली बेवसाइट पर उपलब्ध है)।

18– प्रवेश आदि शुल्क सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए रु0 42,000/–(रु0 बयालीस हजार मात्र) एवं आरक्षित वर्ग के लिए रु0 30,000/–(रु0 तीस हजार मात्र) प्रधानाचार्य, महारानी **लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज**, झाँसी के नाम बैंक ड्राफ्ट/एस0बी0 कलेक्ट के माध्यम से करना होगा। मिसलेनियस चार्ज **रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र)** सहायक परीक्षा अधीक्षक के खाता संख्या–10671331230 एस0बी0आई0 बैक में जमा होगा।

19– हिपैटाइटिस बी बैक्सीनेशन प्रमाण पत्र।

<u>ज्वानिंग के समय प्रस्तुत करने हेतु–</u>

01– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज झाँसी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र।
02– कार्यमुक्त प्रमाण पत्र यदि कार्यरत् हो/पी0एम0एस0एच0 से चयनित अभ्यर्थी।
03– पैन कार्ड की प्रतिलिपि 04– आधार कार्ड की प्रतिलिपि 05– बैंक खाते के विवरण की प्रतिलिपि।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या: 8226/ सुपरस्पेशलिटी प्रवेश /2025–2026/एस0सी0–1 तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु।
2– विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जरी/न्यूरोलोज एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग मेडिकल कॉलेज,झाँसी । 3– नोटिस बोर्ड कॉलेज ।
4– कैशियर मेडिकल कॉलेज झाँसी। 5– प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
6– आशुलिपिक, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज झाँसी।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झाँसी।